अपील सूचना अधिकार संख्या 113/2021 (GCMS 2021/182)(आईटीआई पोर्टल नं. 212895895074903) रामचन्द्र पुत्र लालाराम जाति ब्राह्मण गांव खाटां तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर – 335021 **बनाम** उपखण्ड **अधिकारी, अनूपगढ़**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

27.06.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी रामचन्द्र स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 15.09.2021 से छः बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए अपीलार्थी ने वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 15.09.2021 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ से निम्न सूचना चाही थी:

1. चक 11 पी प.न. 118/48, 6.200 हैक्टेयर अ.क. 118/40 – 4.935 है. कुल 11.135 हैक्टेयर मामकौरी पत्नि स्योजा राम जाति जाट रायसिंहनगर को आवंटन सैल रजिस्टर की प्रमाणित सुदा नकल।
2. इंतकाल नं. 169/22.03.2007 की प्रमाणित सुदा नकल
3. विरास्तन इंतकाल 198 दिनांक 20.03.2012 की प्रमाणित सुदा नकल
4. मामकौरी [illegible] का मूल निवास का प्रमाण आदि साक्ष्य 1955–1988 मतदाता सूची [illegible] की प्रमाणित नकल।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.30 16:04:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

5. मामकौरी पत्नि श्योजा राम के वारिस प्रमाण पत्र की प्रमाणित नकल
6. मामकौरी पत्नि श्योजाराम का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित सूदा नकल

उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ ने अपने पत्र क्रमांक 2921 दिनांक 30.09.2021 से अपील का जवाब निम्नानुसार दिया है :

उक्त विषयान्तर्गत लेख है आपके सूचना के अधिकार के आवेदन पत्र दिनांक 15.09.2021 में अंकित बिन्दु संख्या 01 से 06 में वर्णित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति चाही गई है। आपको सूचित किया जाता है कि "सूचना का अधिकार" के तहत प्रमाणित प्रति देने का प्रावधान नहीं है। प्रमाणित प्रति के लिए आप निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करें एवं निर्धारित प्रतिलिपि शुल्क जमा करवाएं ताकि आपको वांछित प्रमाणित प्रतियां नियमानुसार जारी की जा सके।

उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ द्वारा अपीलार्थी को अपने पत्र दिनांक 30.09.2021 से उक्तानुसार जवाब दिया जा चुका है, **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो [illegible] दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है, **जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध [illegible] और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए** एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.30 16:04:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है, इसलिए उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ द्वारा अपीलार्थी को जो जवाब दिया गया है वह सही है उसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ को अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र पर निर्णय प्राप्ति के 10 दिवस में पुनः निर्णय पारित कर, अपीलार्थी को सूचित करें।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्र[illegible]अनूपगढ को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिज[illegible]तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आ[illegible]06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.30 16:04:08 IST
Reason: SelfAttested

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर